Class - B.Com II
Subject - MFI
Paper. IV (S)
Topic - Monetary and Credit Control.
Lecture - 18

By Dr. C P Sahu
Marwari College. Dar

मौद्रिक अथवा साख नियंत्रण :— ①

विकासशील देश की आर्थिक विकास के लिए आर्थिक वृद्धि सामाजिक न्याय और कीमत में स्थिरता होना अनिवार्य है। केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण शक्ति को नियंत्रित करना जिससे देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रण किया जा सके। इसके माध्यम से केन्द्रीय बैंक देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का प्रयास करता है। भारत का केन्द्रीय बैंक साख नियंत्रण नीति के द्वारा अपनी मौद्रिक नीति का संचालन करता है इसलिए साख नियंत्रण नीति को मौद्रिक नीति भी कहा जाता है।

मौद्रिक नीति से तात्पर्य मुद्रा की पूर्ति और साख को इस प्रकार नियमित करने से है जिससे व्यापार, वाणिज्य तथा आर्थिक क्रियाओं के लिए मुद्रा की मांग को संतोषजनक तरीकों से पूरा किया जा सके। साख का विस्तार व्यापारिक बैंक के द्वारा होता है। ये संस्थाएँ लाभ कमाने वाली होती है जो अपने हित के लिए साख को घटाते-बढ़ाते रहते हैं। इसलिए केन्द्रीय बैंक सभी बैंकों पर नियंत्रण करता है जिससे साख में स्थिरता बना रहे।

मौद्रिक नीति से आशय केन्द्रीय बैंक के द्वारा अपनाये गये उन उपायों से है जिनके द्वारा अर्थव्यवस्था में करेन्सी तथा साख की मात्रा को नियंत्रित करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने साख नियंत्रण की ऐसी नीति अपनायी है जिससे कृषि, व्यापार, उद्योग तथा देश के कमजोर वर्गों को आवश्यक आर्थिक सहायता हो सके। बैंक इस बात पर ध्यान देता है कि साख का प्रयोग उसी कार्य के लिए हो रहा है कि नहीं, जिसके लिए उपलब्ध कराया गया है।

इस तरह साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य हैं :—

(1) आन्तरिक कीमत स्तर में स्थिरता स्थापित करना

(2) आर्थिक नियोजन को सफल बनाना। एवं रोजगार की वृद्धि करना

(3) विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता स्थापित करना

(4) व्यापार चक्रों (Trade Cycle) पर नियंत्रण करना

(5) युद्ध या महामारी के समय वित्त की व्यवस्था करना

भारतीय रिजर्व बैंक निम्न तरीकों से साख नियंत्रण करता है:

(A) परिमाणात्मक या संख्यात्मक या सामान्य साख नियंत्रण

(1) बैंक दर (Bank rate) बैंक दर साख नियंत्रण का महत्वपूर्ण मौद्रिक स्रोत है। बैंक दर वह दर है जिस पर केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को रकम उधार देता है तथा उनके व्यापारिक बिलों को पुन: कटौती करता है। जब बाजार में साख की मात्रा में वृद्धि होती है तब रिजर्व बैंक बैंक दर को बढ़ा देता है जिससे बाजार में ब्याज दर में भी वृद्धि हो जाती है। जब रिजर्व बैंक यह देखता है कि बाजार में उधार की मात्रा कम हो गयी है तब वह बैंक दर को कम कर देता है। इससे व्यापारिक बैंक भी कम ब्याज दर पर ऋण देने लगता है। इससे साख में वृद्धि होती है।

Scanned with CamScanner

② खुले बाजार (Open market operations).

रिजर्व बैंक भारत की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए खुले बाजार से प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करता है। रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17 के अनुसार रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वह ऐसे व्यापारिक बिलों तथा सरकारी फर्मों का क्रय-विक्रय या पुनः कटौती कर सकता है। जब केन्द्रीय बैंक साख का विस्तार करना चाहता है तो वह बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी विनिमय इत्यादि खरीदना आरम्भ कर देता है जिससे बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। बैंक में जमा राशि भी बढ़ जाता है जिससे उनकी साख निर्माण की शक्ति बढ़ जाती है। इस प्रकार प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों में परिवर्तन हो जाता है और नकद कोषों की कमी या वृद्धि से व्यापारिक बैंकों की उधार देने की शक्ति में कमी तथा वृद्धि होती है।

③ परिवर्तनशील नकद कोष अनुपात (Variable Cash reserve Ratio)

केन्द्रीय बैंक अपने सदस्य व्यापारिक बैंकों को उधार देने तथा उनके बिलों की कटौती की सुविधा देता है। इसके पहले व्यापारिक बैंक को अपने व्यापार कोष में जमा रकम का एक निश्चित

Scanned with CamScanner

प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। जिसे नकद कोष अनुपात कहते हैं। केन्द्रीय बैंक को इस जमा प्रतिशत में परिवर्तन का अधिकार होता है। जब केन्द्रीय बैंक देश में साख की मात्रा को कम करना चाहता है तो उस जमा प्रतिशत में वृद्धि कर देता है जिससे बैंकों की साख निर्माण की शक्ति सीमित हो जाती है। जब साख की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है तो नकद कोषों के प्रतिशत में कमी कर देता है जिससे बैंकों की साख-निर्माण शक्ति बढ़ जाती है।

(4) वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio)

देश के व्यापारिक बैंक अपनी कुल सम्पत्ति का कुछ भाग तरल रूप में रखते हैं। कुछ देशों में तरलता का प्रतिशत कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है जैसे- भारत के बैंकों को अपनी सम्पत्ति का कम से कम 30% भाग तरल रूप में (नकद, अन्य बैंकों में जमा याचना राशि, बिल तथा सरकारी प्रतिभूति के रूप में) रखना अनिवार्य है। इस कोष अनुपात में आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन भी किया जा सकता है। यदि तरल कोषों की मात्रा में वृद्धि कर दी जाय तो बैंकों की उधार देने की शक्ति कम हो जाती है। इसके विपरीत, यदि तरल कोषों के प्रतिशत में कमी कर दी जाय तो बैंकों की उधार देने की शक्ति बढ़ जाती है।

(5) प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct Action) बैंकिंग कंपनी अधिनियम (5)
1949 के अनुसार रिजर्व बैंक को प्रत्यक्ष कार्यवाही के व्यापक अधिकार प्राप्त है।

(6) नैतिक आग्रह - (Moral Suasion) - रिजर्व बैंक साख का नियंत्रण करने के लिए नैतिक आग्रह का भी सहारा लेता है। इसके अनुसार बैंकों को समझा-बुझाकर उनके द्वारा घोषित नीतियों का अनुसरण करने का आग्रह करता है।

(B) चयनात्मक या गुणात्मक साख नियंत्रण (Selective or Quaditative Credit Control) —

इसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यापारिक बैंकों को साख प्रदान करने का आदेश देता है। रिजर्व बैंक चयनित साख नियंत्रण को प्रभावशाली बनाने के लिए बैंकों को समय-समय पर निर्देश देता है। वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को रोकने, काला-बाजारी एवं सट्टेबाजी पर नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक ने कुछ वस्तुओं को चिन्हित किया है। चिन्हित वस्तुओं में खाद्यान्न, तिलहन, चीनी, गुड़, वनस्पति तेल कपास तथा सूती वस्त्र शामिल है। इस प्रकार रिजर्व बैंक का निर्देश है कि इन वस्तुओं के उत्पादकों एवं व्यापारियों को रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार ही साख प्रदान करें।

— × —

Scanned with CamScanner